राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1249/2008/धौलपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–ब,
भरतपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मंगल एन्टरप्राईजेज,
बसई नवाब, जिला–धौलपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
अभिभाषक ....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री जतिन हरजाई,
अभिभाषक ......प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व ने यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) की अपील संख्या 119/उपा–भरत/07–08/आरएसटी में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत–ब, भरतपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2007 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रू. 2,16,504/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.07.2007 को वाहन संख्या यूपी–80–एच–9077 को पुलिस थाना उद्योग नगर के पास रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया भरतपुर में रोककर चैक किया गया। वाहन में लदा माल सरसों तेल निवाई (टोंक) से बसई नवाब, धौलपुर के लिए परिवहनित किया जा रहा था वाहन चालक से दस्तावेज मांगने पर मै. श्री अनिल प्रोडक्ट, निवाई (टोंक) का बिल संख्या 1143 दिनांक 04.07.2007, मै. बी.एस.कन्साना टेंकर सर्विस, एबी रोड, मुरैना की जी.आर. संख्या 86 दिनांक 04.07.2007 पेश किये गये। उक्त वाहन के चैकिंग प्वाइंट से उत्तरप्रदेश की सीमा मात्र पांच किमी की दूरी पर स्थित होने के कारण उक्त माल प्रस्तुत दस्तावेजों के गंतव्य स्थल से अन्यत्र ले जाने के संदेह के कारण प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रथमदृष्टया संदिग्ध पाये गये, अतः धारा 76(2)(ए) का उल्लघंन माने जाने के आधार पर माल की कीमत रूपये 7,21,681/– पर धारा 76(6) के तहत् 30 प्रतिशत की दर से रूपये 2,16,504/– की शास्ति आरोपित की गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.10.2007 द्वारा प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति रूपये 2,16,504/– को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि वाहन को जहां चैक किया गया वह मार्ग बसई नवाब जाने का नियमित मार्ग नहीं था, बल्कि ओल (यूपी) जाने का नियमित मार्ग था, एवं माल प्रस्तुत दस्तावेजों में अंकित गंतव्य स्थल की बजाय अन्यत्र उत्तरप्रदेश राज्य में ले जाया जा रहा था। इससे प्रत्यर्थी के करापवंचन की मंशा साफ जाहिर होती है। इस प्रकार उन्होंने पुनः शास्ति आरोपण पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल के साथ समस्त उचित दस्तावेज संलग्न थे। जिन पर समस्त विगत अंकित थी। माल का परिवहन निवाई से बसई नवाब के लिए लालसोट महुआ, भरतपुर तथा उंचा नगला होते हुए किया जा रहा था किन्तु आरटीओ की चैकिंग से बचने के लिए उसने भरतपुर बाईपास का रास्ता अपनाया था। साथ ही माल का इन्द्राज प्रेषक द्वारा अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में भी किया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच व आधार के उक्त शास्ति का आरोपण करापवंचन की मनोदशा प्रमाणित किये बिना किया जो अनुचित था।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। परिवहनित माल के साथ बिल व बिल्टी मौजूद थे जिन पर समस्त विगत अंकित थी। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की लेखा पुस्तकों की जांच करने पर उक्त माल का इन्द्रांज लेखा पुस्तकों में पाया गया तथा जारी किया गया बिल भी नियमित बिल बुक से जारी किया जाना पाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा करापवंचन को प्रमाणित नहीं किया गया है। केवल रास्ता बदलने से करापवंचन प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी पर किसी भी प्रकार की करापवंचन का कृत्य प्रमाणित नहीं होता हैं।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 18.10.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष